ISSN 2348-3857

लोकतन्त्र के बदलते आयाम

डां. रंजना गर्ग

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान

बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय, शाहपुरा, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

लोकतन्त्र आधुनिक युग की पहचान है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतान्त्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांन्त्रिक देश है। लोकतान्त्रिक प्रणाली जनता के कल्याण की भावना पर निर्भर करती है। लोकतन्त्र की विभिन्न व्याख्याएँ की गई हैं। कुछ के लिए यह मानव दर्शन, कुछ के लिए राजनैतिक आदर्श तथा कुछ के लिए भावनाओं व आदर्शों का ऐसा समूह है जो समाज के सदस्यों के प्रति एक दूसरे के व्यवहार को प्रेरित व नियंत्रित करता है। इस प्रकार लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुडा हुआ एक पहलू है और उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। मानव सभ्यता विकास की एक कडी से जुडी हुई है। जिसमें कि विकास शनैः-शनैः हुआ है। विभिन्न समय पर शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप अस्तित्व में रहे हैं जैसे राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, लोकतन्त्र आदि। वर्तमान लोकतन्त्र से पहले राजतन्त्रात्मक या कुलीनतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थीं परन्तु धीरे-धीरे जनता को यह समझ आने लगा कि यह शासन प्रणालियाँ जनसाधारण के हित में कार्य न करके एक वर्ग विशेष के हितों का ही ध्यान रखती हैं क्योंकि शासन वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता तथा शासक वर्ग किसी वर्ग विशेष में से आने के कारण उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाता। इन्हीं तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया।

आधुनिक लोकतन्त्र का विकास 18वीं शताब्दी के बाद प्रतिनिधियात्मक लोकतन्त्र के रूप में रहा। वर्तमान लोकतन्त्र के विकास में 1789 की फ्रांस की क्राँति का भी योगदान रहा अमेरिका की क्रांति तथा ब्रिटेन में प्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रणाली में सुधार ने भी प्रजातन्त्र का मार्ग प्रशस्त किया। लोकतन्त्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन हो तथा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन का एक भाग हो किन्तु उत्तरोत्तर विचारकों ने यह अनुभव किया कि प्रजातन्त्र को मात्र शासन का प्रकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि लोकतन्त्र में शासन कौन करेगा इसका अन्तिम निर्णय जनता के हाथ में रहता है। इस सन्दर्भ में आर.एम. मैकाइवर का मानना है लोकतन्त्र मात्र बहुमत द्वारा शासन चलाने की प्रणाली नहीं है अपितु इसमें मूलत: यह प्रश्न निहित है कि शासन की सत्ता किसके हाथों में किस उद्देश्य से दी जाये। अत: प्रजातन्त्र में यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक यह निर्णय करने की स्वतन्त्रता रखता हो कि किस प्रकार के शासन का निर्माण किया जाये। अत: प्रजातन्त्रीय सरकार के लिए प्रजातन्त्रीय समाज का होना आवश्यक है। अर्थात ऐसा समाज जो सामाजिक स्तर पर भी समानता तथा स्वतन्त्रता में विश्वास करता हो। डनिंग का मानना है प्रजातन्त्र व्यक्ति को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने की शिक्षा प्रदान करता है, व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है ताकि वह वृहतर प्रक्रिया में रुचि ले सके। अत: प्रजातन्त्रीय सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो प्रतिद्वन्द्वी विचारों के मध्य विचार-विमर्श से संचालित हो तथा सरकार विचारों के ऐसे सामंजस्य पर आधारित हो जो सभी नागरिकों के विचार से प्रभावित हो।

वर्तमान में प्रचलित प्रजातन्त्री मॉडल को उदारवादी मॉडल कहा जाता है। लोकतन्त्र का उदारवादी मॉडल पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं में यथा ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विकसित हुआ है अत: इसे पश्चिमी उदारवादी जनतन्त्र भी कहा जाता है। इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तुलनात्मक रूप से कम विकसित अफ्रीकी एशियाई देशों ने भी प्रजातन्त्रीय संविधान व सरकार को अपनाने का प्रयास किया किन्तु इन व्यवस्थाओं में पश्चिमी विकसित देशों के समान सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों का अभाव था अर्थात

ISSN 2348-3857

प्रजातन्त्रीय व्यवस्था का प्रारम्भ राजनीति से किया गया। इन व्यवस्थाओं को जिनमें भारत, लंका तथा मलेशिया उल्लेखनीय है, इन्हें विकासशील देशों का प्रजातन्त्र कहा जाता है।

लोकतन्त्र की विशेषताएँ

बहुमत का शासन

वर्तमान में लोकतन्त्रीय शासन का आधार प्रतिनिधि है। लोकतन्त्र अर्थात जनता की राजनीतिक इच्छा उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अभिव्यक्त होती है। अनेक विचारकों ने प्रजातन्त्र को बहुमत का शासन माना है। बहुमत के शासन के साथ ही अल्पमत के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण भी आवश्यक है।

राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा समानता

राजनीतिक स्वतन्त्रता नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतन्त्रता प्रदान करती है। किसी राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों को कितनी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त है यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में किस सीमा तक भागीदारी निभाने में सक्षम हैं। राजनीतिक स्वतन्त्रता व्यवहार में तब सम्भव है जब नागरिकों के सामने राजनीतिक विकल्प उपस्थित है यह राजनीतिक विकल्प प्रजातन्त्र में नागरिकों द्वारा अपनी पसन्द के राजनीतिक दल चुनने की स्वतन्त्रता हो जो परस्पर प्रतिद्वन्द्विता द्वारा सत्ता प्राप्त करते है।

नीति-निर्माताओं पर लोकप्रिय नियन्त्रण

आधुनिक प्रजातन्त्र प्रतिनिधि प्रजातन्त्र है क्योंकि कोई भी प्रजातन्त्रीय व्यवस्था इस सिद्धान्त के आधार पर कार्य नहीं करती है कि शासन के सभी मूलभूत सिद्धान्तों का निर्णय जनता के द्वारा मतदान के द्वारा किया जाए। नीतियों पर जनता का नियन्त्रण अप्रत्यक्ष होता है तथा यह उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। लोकप्रिय नियन्त्रण का निर्धारण मात्र चुनाव के अवसर पर ही नहीं होता है क्योंकि प्रतिनिधियों का निर्वाचन निश्चित अवधि के पश्चात ही होता है। इस प्रकार जनमत की अभिव्यक्ति के द्वारा जनता निरन्तर सरकार पर अपना नियन्त्रण बनाये रखती है अर्थात प्रजातन्त्र में सरकार जनता तथा जनमत के प्रति संवेदनशील होती है तथा जनसंचार के साधनों के माध्यम से निरन्तर जनसामान्य की प्रतिक्रिया के बारे में सजग रहती है।

नियमित व सुचारु निर्वाचन

वास्वी के शब्दों में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था को जिन लक्षणों के लिए स्वीकारा जाता है उसमें व्यक्ति का महत्व, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, परिवर्तनशील समाज में शांतिपूर्ण परिर्वतन का सम्भव होना, शासकों में व्यवस्थित रूप से परिवर्तन, दमन का न्यूनतम प्रयोग, विविधता तथा अनेकता को मान्यता तथा न्याय प्राप्ति का लक्ष्य आदि उल्लेखनीय है। यद्यपि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ न्याय प्राप्त करने का दावा करती हैं तथापि चूँकि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में निर्वाचन के माध्यम से सत्ता में नियमित परिवर्तन होते है अत: इस बात की संभावना बढ जाती है कि अन्याय पर आधारित सरकार को जनता बदल देगी। यद्यपि निर्वाचन प्रभावशाली हो इसके लिए आवश्यक है कि नागरिक अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के योग्य हों, राजनीतिक विषयों की जानकारी रखते हों और विवेक-सम्मत रूप से अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता रखते हों।

संवैधानिक सरकार

संविधानवाद प्रजातन्त्र की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। संविधान पर आधारित सरकार से तात्पर्य यही है कि सरकार वैयक्तिक इच्छा के अनुसार न चल कर संवैधानिक रूपरेखा के आधार पर चलती है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विभाजन करता है। प्रजातन्त्र में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के कार्यो की संवैधानिकता की जाँच का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए प्रजातन्त्र के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक मानी जाती है जबकि साम्यवादी व्यवस्थाओं में शासक दल के प्रति निष्ठावान न्यायपालिका उचित मानी जाती है। यद्यपि ब्रिटेन में स्वतन्त्र न्यायपालिका का अभाव है तथापि वहाँ विधि के शासन को माना गया है। स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों की भी रक्षा करती है। इस प्रकार संविधान पर आधारित शासन व्यवस्था विवेक-सम्मत होती है तथा प्रजातन्त्रीय सरकार को स्थिरता प्रदान करती है।

लोकतन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें

शासन के रूप में लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए विचारकों का मानना है कि न केवल नागरिकों में प्रजातन्त्र के अनुकूल गुण होने चाहिये अपितु उसी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ भी होनी चाहिये। यद्यपि इन शर्तों की परस्पर उपयोगिता तथा महत्व के बारे में मतभेद हो सकते हैं तथापि इस प्रकार की आवश्यकता के बारे में प्राय: सहमति पाई गई है-

(i) वैयक्तिक गुण व अच्छी शिक्षा पद्धति-लोकतन्त्र को सफल बनाने में सर्वप्रथम दायित्व जनता का होता है। नागरिक

यदि अपने उम्मीदवारों के चयन में विवेक-सम्मत निर्णय नहीं लेते है तो यह सम्भव है कि वे अयोग्य उम्मीदवारों को निर्वाचित कर सकते हैं जो प्रजातन्त्र के विनाश का कारण बन सकते हैं। नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जागरुक होना अनिवार्य है। यदि वे जागरुक नहीं होंगे तो शासक उनके सेवकों के रूप में कार्य करेंगे किन्तु यदि नागरिक जागरुक नहीं होंगे तो शासक मालिकों सा व्यवहार करेंगे जो प्रजातन्त्र के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रजातन्त्र का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, नागरिकों के विवेक, रुचि नागरिकता की भावना व जागरुकता पर निर्भर करता है। शिक्षा के द्वारा ही नागरिक अपनी आजीविका अर्जित करने के योग्य बनते है। अन्यथा बेरोजगारी बढ़ जाएगी व लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगी।

(ii) सामाजिक शर्तें एवं सचेत नागरिक-सामाजिक सहिष्णुता जागरुक नागरिक के साथ लोकतन्त्र की सफलता के लिए नागरिकों में सहयोग व सामंजस्य की भावना होना भी आवश्यक है। सामाजिक सहिष्णुता का सर्वप्रथम दृष्टांत बहुमत तथा अल्पमत के परस्पर सम्बन्धों को लेकर होता है। यद्यपि प्रजातन्त्र बहुमत का शासन होता है तथापि प्रजातन्त्रीय समाज अल्पमत के प्रति संवेदनशील होता है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्था तभी सम्भव है जब बहुमत तथा अल्पमत अपने परस्पर सम्बन्धों को सहयोग तथा सामंजस्य के आधार पर संचालित करे। लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का ज्ञान हो। यदि नागरिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। कर्त्तव्यों के साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना चाहिये। अन्यथा सरकार के निरंकुश होने की संभावना रहेगी।

(iii) आर्थिक समानता व सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक जागृति-प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस समाज में समुचित आर्थिक विकास हुआ हो और इस आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गो को समान रूप से प्राप्त हुआ हो। यदि समाज में आर्थिक विषमताएँ अत्यधिक हैं तो जनता राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भागीदारी नहीं निभा पाएगी तथा प्रजातन्त्रीय व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से धनिक वर्ग का शासन बन जाएगी। आर्थिक सम्पन्नता के साथ नागरिकों की आस्था शासन व्यवस्था में बढ़ती है तथा निरन्तर गरीबी में रहने वाले लोग राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति उत्तरोत्तर उदासीन होते जाते हैं। अनेक विकासशील देशों में प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं की समाप्ति के आर्थिक कारण भी रहे हैं। अन्ततः प्रजातन्त्रीय आदर्श को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय सम्पदा के वितरण में व्याप्त असमानताओं को न्यूनतम किये जाए। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में राजनीतिक जागृति होनी आवश्यक है। यदि नागरिक राजनीति के प्रति उदासीन हैं और राजनीतिक समस्याओं को भली-भाँती नहीं समझते हैं तो वे अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर सकेंगे।

(iv) योग्य अभिजन व उनमें सहयोग की भावना-विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया की सफलता में शासक, नेता तथा अभिजन वर्ग की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। यदि नेतृत्व स्वयं प्रजातन्त्रीय मूल्यों और प्रक्रिया में विश्वास करता है तथा ऐसी नीतियों का निर्माण करता है जिसमें जनसामान्य की भलाई निहित होती है तो जनता का विश्वास प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में बढ़ जाता है। यदि नेतृवर्ग व शासन अनुत्तरदायी और स्वच्छंद ढंग से कार्य करते हैं तो जनसामान्य का विश्वास प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है क्योंकि वे अपने कष्टों का कारण प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया को मान लेते हैं। यही कारण है कि विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया के विकास तथा आधुनिकीकरण में नेतृवर्ग तथा अभिजन वर्ग की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

(v) स्वतन्त्र तथा निर्भीक जनसंचार के साधन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका-लोकतन्त्र की सफलता के लिए जनसंचार के साधनों का स्वतन्त्र और निर्भीक होना आवश्यक है। जनसंचार के साधनों के माध्यम से ही जनता को राजनीतिक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं अतः एक प्रबुद्ध जनमत निर्माण के लिए आवश्यक है कि समाचार-पत्र तथा संचार के अन्य साधन यथा रेडियो व टेलीविजन राजनीतिक मुद्दों पर जनता को निष्पक्ष राय प्रस्तुत करें। इसी प्रकार जनता की भावनाओं तथा प्रतिक्रिया को सरकार के सामने प्रस्तुत करें इस प्रकार समाचार-पत्र सरकार को जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। स्वस्थ व प्रबुद्ध लोकमत का निर्माण स्वतन्त्र तथा निर्भीक समाचारपत्रों के बिना सम्भव नहीं है। संविधान तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को बनाया जाता है। किन्तु न्यायपालिका अपना कार्य भलीभाँति कर सके इसके लिए आवश्यक है कि उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप तथा नियंत्रण से मुक्त रखा जाये। जिस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती वहाँ लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहते और संविधान भी सारहीन हो जाता है। जैसा कि रूस, चीन तथा कई अन्य साम्यवादी देशों में है।

ISSN 2348-3857

सुधार की आवश्यकता

(i) वर्तमान स्थिति में शासकीय नीतियों व कार्यो में भ्रष्टाचार से मुक्ति व ऐसा करने पर सजा मिलना जरूरी है।

(ii) नागरिकों का शासक वर्ग पर विश्वास कायम रहना चाहिए।

(iii) सत्य यह भी है कि विधानसभाओं में भी आज का सत्ता पक्ष जब कल विपक्ष की स्थिति में था तो उनका व्यवहार भी लगभग ऐसा ही था जैसा कि विपक्ष का वर्तमान में है इसे भी बदलना होगा।

(iv) यह भी सत्य है कि पैसों से चुनाव जीतने वाले भी बाद में फिर पैसों का कारोबार करने लगते हैं और जब सरकार बनाने के लिए अपनी पार्टी से हटकर या यूँ कहिए दल बदलकर दूसरों के वोट देने जाते हैं। ऐसा करने वालों के लिए तो कानून और भी सख्त होना चाहिए।

(v) भारत के सभी राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक सामाजिक प्रतिबद्धता पर जोर देना होगा।

(vi) सभी राजनीतिक दलों को अपनी आन्तरिक पार्टी नीतियों में भी पारदर्शिता बढानी होगी।

भारतीय लोकतन्त्र

भारत का लोकतन्त्र विश्व का एक सशक्त लोकतन्त्र है। लोकतान्त्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले विश्व के समस्त राष्ट्र यहाँ की लोकतान्त्रिक प्रणाली से प्रेरणा लेते हैं। लोकतन्त्रीय प्रणाली में शासन या सत्ता का अंतिम सूत्र जनसाधारण के हाथों में रहता है ताकि सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा के अनुसार और जनता के हित-साधन के उद्देश्य से बनाई जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

भारत भी एक लोकतान्त्रिक देश है और इसमें कोई असत्य नहीं है कि कल के और आज के भारत में ऐसा बहुत कुछ है, जो जनता में हताशा और निराशा पैदा करता है। आज भी हमारे समाज में बडे पैमाने पर गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक अन्याय, लिंग भेद, सामाजिक दमन, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, जीवन का निम्नतम स्तर जैसी समस्याएँ फैली हुई हैं। जबकि यह भी सत्य है कि देश को राजनीतिक, आर्थिक एवं भावनात्मक तौर पर एकीकृत और मजबूत करने में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है।

भारत की धर्मनिरपेक्ष रूप, संघीय और बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली का मजबूत स्वरूप, यह भी बहुत बडी सफलता कही जा सकती है।

भारत को गरीबों और वंचितों को आज तक राजनीतिक तौर पर लाभबद कर अपने पक्ष में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने में सफलता नहीं मिली है जबकि पूंजीपति भूस्वामी वर्ग, बुद्धिजीवी, कामकाजी लोग इन सबने अपने हितों की रक्षा के उपाय खोज लिए है।

आज भारतीय लोकतन्त्र के छह दशक पूरे हो जाने के बाद भी हमारे सामने गरीबी, भूखमरी, बरोजगारी, निरक्षरता, असमानता तथा सामाजिक पिछडेपन इत्यादि की समस्याएं खडी हैं। हमें इन समस्याओं के निदान करना है। लोकतन्त्र सच्चे अर्थ में विभिन्न शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है तथा साथ ही आत्मस्वार्थ तथा दूसरे के हितों के बीच, अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच, व्यक्तिगत आजादी तथा सजातीय बंधुओं के सामंजस्य को बरकरार रखता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भामरी, सी.पी., पॉलिटिक्स इन इण्डिया, शिप्रा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1992
2. ब्राइस लार्ड, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, 1921
3. शाह, हीरेन, डेमोक्रेसी एट द क्रॉस वेज, मैकमिलन एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड, लन्दन, पृ. 17
4. बाल, एलेन, आधुनिक राजनीति और शासन, 1971, पृ. 49-54
5. उपर्युक्त पृ. 53-54.
6. उप्रेती, डॉ. नन्दिनी, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2003
7. चतुर्वेदी, डॉ. मधुमुकुल, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राज. पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2008
8. सिंह, डॉ. निशान्त, लोकतान्त्रिक व्यवस्था और चुनाव, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008